

अनुमति की शर्तें ।

- (a) जमा भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (c) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करता ही आवेदक निगम से सूचित करेगा ।
- (d) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वायत्त शिक्षण लेवल आवासीय प्रोजेक्ट
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
 आवासीय

आवेदन क्रमांक 453 दिनांक 17/01/2020
 प्रार्थी विजय दत्त चारण डा. श्री भोहन दत्त चारण
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = डी-3/ए व वी-3 अर्को रजिज
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय डी-3 वी-3 अर्को रजिज
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश 12072/1111
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 1028/9794, 9795
 जरिये रसीद संख्या 1028/9794, 9795
 दिनांक 17/01/2020 को जमा करा दी है ।

17/1/2020
 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर



नगर निगम, जोधपुर